साइप्रस का संविधान

ISBN: 978-81-999240-5-5

AUTHOR

ADV.GANESH SHRIRANG SATARKAR

(LL.M)

ADVOCATE, BOMBAY HIGH COURT

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

1. BOOK TITLE : साइप्रस का संविधान
2. LANGUAGE: HINDHI
3. ISBN: 978-81-999240-5-5
4. EDITION: FIRST EDITION
5. AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR
6. PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY :-
7. M/s. SHRIRANG SAVALA NALE HUF SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. CONTACT DETAILS:
   MOBILE: +91 7066766607 EMAIL: GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. YEAR OF PUBLICATION: 2026
10. FORMAT: SINGLE-COMPONENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
11. PRICE (IN INDIA): ₹ 10 /- (Printed and Published in India)

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.

Disclaimer:

This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

साइप्रस का संविधान

□ अध्याय I – संप्रभुता (Sovereignty)

1. अनुच्छेद 1 – सुरिनाम एक लोकतांत्रिक राज्य है।
2. अनुच्छेद 2 – राज्य का क्षेत्र और सीमाएँ निर्धारित हैं।
3. अनुच्छेद 3 – नागरिकता और निवास कानून द्वारा तय।
4. अनुच्छेद 4 – राज्य का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास।

□ अध्याय II – आर्थिक उद्देश्य

5. अनुच्छेद 5 – राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास।

□ अध्याय III – सामाजिक उद्देश्य

6. अनुच्छेद 6 – समाज कल्याण और समान विकास।

□ अध्याय IV – अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत

7. अनुच्छेद 7 – शांति, सहयोग और स्वतंत्रता का समर्थन।

□ अध्याय V – मौलिक अधिकार

8. अनुच्छेद 8 – समानता का अधिकार।
9. अनुच्छेद 9 – शारीरिक और मानसिक सुरक्षा।
10. अनुच्छेद 10 – न्याय पाने का अधिकार।
11. अनुच्छेद 11 – न्यायालय तक पहुँच का अधिकार।
12. अनुच्छेद 12 – विधिक सहायता का अधिकार।
13. अनुच्छेद 13 – संपत्ति जब्ती का निषेध।
14. अनुच्छेद 14 – जीवन का अधिकार।
15. अनुच्छेद 15 – जबरन श्रम निषिद्ध।
16. अनुच्छेद 16 – व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
17. अनुच्छेद 17 – गोपनीयता का अधिकार।
18. अनुच्छेद 18 – धर्म की स्वतंत्रता।

https://www.constituteproject.org/countries/Americas/Suriname

19. अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
20. अनुच्छेद 20 – सभा और संगठन की स्वतंत्रता।
21. अनुच्छेद 21 – शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार।
22. अनुच्छेद 22 – याचिका का अधिकार।
23. अनुच्छेद 23 – आपातकाल में अधिकार सीमित।

□ अध्याय VI – सामाजिक-आर्थिक अधिकार

24. अनुच्छेद 24 – जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति।
25. अनुच्छेद 25 – श्रम का महत्व।
26. अनुच्छेद 26 – काम का अधिकार।
27. अनुच्छेद 27 – रोजगार सुनिश्चित करना।
28. अनुच्छेद 28 – कर्मचारियों के अधिकार।
29. अनुच्छेद 29 – श्रमिकों की सुरक्षा।
30. अनुच्छेद 30 – ट्रेड यूनियन की स्वतंत्रता।
31. अनुच्छेद 31 – यूनियन के अधिकार।
32. अनुच्छेद 32 – नियोक्ताओं के अधिकार।
33. अनुच्छेद 33 – हड़ताल का अधिकार।
34. अनुच्छेद 34 – संपत्ति का अधिकार।
35. अनुच्छेद 35 – परिवार की सुरक्षा।
36. अनुच्छेद 36 – स्वास्थ्य का अधिकार।
37. अनुच्छेद 37 – युवाओं का संरक्षण।
38. अनुच्छेद 38 – शिक्षा और संस्कृति का अधिकार।
39. अनुच्छेद 39 – शिक्षा नीति।

□ अध्याय VII – आर्थिक प्रणाली

40. अनुच्छेद 40 – विकास योजना।
41. अनुच्छेद 41 – प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति।
42. अनुच्छेद 42 – व्यापार का नियमन।
43. अनुच्छेद 43 – वित्तीय प्रणाली।

44. अनुच्छेद 44 – औद्योगिक संपत्ति अधिकार।

□ अध्याय VIII – सामाजिक व्यवस्था

45. अनुच्छेद 45 – समान अधिकार आधारित समाज।
46. अनुच्छेद 46 – नागरिक शिक्षा।
47. अनुच्छेद 47 – सांस्कृतिक संरक्षण।
48. अनुच्छेद 48 – स्वास्थ्य और दवाओं की निगरानी।
49. अनुच्छेद 49 – आवास योजना।
50. अनुच्छेद 50 – सामाजिक सुरक्षा।
51. अनुच्छेद 51 – विधिक सहायता।

□ अध्याय IX – लोकतांत्रिक राज्य सिद्धांत

52. अनुच्छेद 52 – सत्ता जनता में निहित।
53. अनुच्छेद 53 – राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता।
54. अनुच्छेद 54 – राज्य संस्थाओं के सिद्धांत।

□ अध्याय X – राष्ट्रीय सभा

55. अनुच्छेद 55 – राष्ट्रीय सभा सर्वोच्च निकाय।
56. अनुच्छेद 56 – सदस्यों का कार्यकाल।
57. अनुच्छेद 57 – चुनाव प्रक्रिया।
58. अनुच्छेद 58 – मतदान अयोग्यता।
59. अनुच्छेद 59 – चुनाव योग्यता।
60. अनुच्छेद 60 – चुनाव कानून।

61–68 – सदस्यता, शपथ, समाप्ति नियम।

□ अध्याय XI – विधायिका

69. अनुच्छेद 69 – संविधान का पालन।
70. अनुच्छेद 70 – विधायी शक्ति।

71–76 – संसद के अधिकार और प्रक्रिया।

□ अध्याय XII – राष्ट्रपति

77–83 – राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य।

□ अध्याय XIII – सरकार

84–93 – मंत्रिपरिषद और शासन संरचना।

□ अध्याय XIV – राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

94–96 – सुरक्षा परिषद का गठन।

□ अध्याय XV – न्याय प्रणाली

97–111 – न्यायपालिका और न्यायालय।

□ अध्याय XVI – वित्तीय नियंत्रण

149–152 – सरकारी व्यय की निगरानी।

□ अध्याय XVII – सलाहकार परिषद

153 – सलाहकार परिषद प्रावधान।

□ अध्याय XVIII – वित्तीय प्रणाली

154 – मौद्रिक प्रणाली।

□ अध्याय XIX – कर व्यवस्था

155 – कराधान।

156 – बजट।

□ अध्याय XX – लोक प्रशासन

157–158 – प्रशासनिक व्यवस्था।

□ अध्याय XXI–XXIII – क्षेत्रीय शासन

159–176 – क्षेत्रीय सरकार और अधिकार।

□ अध्याय XXIV – सेना और पुलिस

177–179 – सेना और पुलिस व्यवस्था।

□ अध्याय XXV – राज्य की रक्षा

180 – राष्ट्रीय रक्षा।

□ अध्याय XXVI – जनसभा

181 – पीपुल्स असेंबली।

□ अध्याय XXVII–XXVIII – संक्रमण प्रावधान

182–185 – पुराने कानून और संक्रमण व्यवस्था।

□ अध्याय XXIX – अंतिम प्रावधान

186 – संविधान लागू होने की प्रक्रिया।

- अनुच्छेद 1 – सूरीनाम एक लोकतांत्रिक राज्य है जहाँ सत्ता जनता में निहित है।
- अनुच्छेद 2 – राज्य की सीमाएँ निश्चित हैं और उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता।
- अनुच्छेद 3 – नागरिकता और विदेशी संबंध कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- अनुच्छेद 4 – राज्य का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।
- अनुच्छेद 5 – राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्वतंत्र बनाना।
- अनुच्छेद 6 – सामाजिक न्याय और जीवन स्तर सुधार राज्य का लक्ष्य है।
- अनुच्छेद 7 – अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना।
- अनुच्छेद 8 – सभी व्यक्तियों के लिए समानता और भेदभाव निषेध।
- अनुच्छेद 9 – शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद 10 – निष्पक्ष न्याय पाने का अधिकार।
- अनुच्छेद 11 – विधिसम्मत न्यायालय तक पहुँच का अधिकार।
- अनुच्छेद 12 – विधिक सहायता का अधिकार।
- अनुच्छेद 13 – संपत्ति जब्ती को दंड के रूप में निषिद्ध किया गया है।
- अनुच्छेद 14 – जीवन का अधिकार संरक्षित है।
- अनुच्छेद 15 – जबरन श्रम प्रतिबंधित है।

- अनुच्छेद 16 – व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद 17 – गोपनीयता और निजी जीवन की रक्षा।
- अनुच्छेद 18 – धर्म की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 20 – सभा और संगठन की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 21 – शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार।
- अनुच्छेद 22 – याचिका देने का अधिकार।
- अनुच्छेद 23 – आपातकाल में अधिकार सीमित किए जा सकते हैं।
- अनुच्छेद 24 – जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य का कर्तव्य है।
- अनुच्छेद 25 – श्रम मानव विकास का मुख्य साधन है।
- अनुच्छेद 26 – प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 27 – राज्य रोजगार सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 28 – कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित हैं।
- अनुच्छेद 29 – राज्य श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- अनुच्छेद 30 – ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद 31 – यूनियनों को अधिकारों की रक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद 32 – नियोक्ताओं के अधिकार भी मान्य हैं।
- अनुच्छेद 33 – हड़ताल का अधिकार मान्यता प्राप्त है।
- अनुच्छेद 34 – संपत्ति का अधिकार और सामाजिक दायित्व।
- अनुच्छेद 35 – परिवार और बच्चों की सुरक्षा।
- अनुच्छेद 36 – स्वास्थ्य का अधिकार।
- अनुच्छेद 37 – युवाओं के विकास का संरक्षण।
- अनुच्छेद 38 – शिक्षा और संस्कृति का अधिकार।
- अनुच्छेद 39 – राज्य शिक्षा नीति लागू करेगा।
- अनुच्छेद 40 – विकास योजना कानून द्वारा निर्धारित होगी।
- अनुच्छेद 41 – प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र की संपत्ति हैं।
- अनुच्छेद 42 – व्यापार और उद्योग का नियमन।
- अनुच्छेद 43 – वित्तीय प्रणाली का नियमन।
- अनुच्छेद 44 – औद्योगिक संपत्ति अधिकार संरक्षित।

https://www.constituteproject.org/countries/Americas/Suriname

- अनुच्छेद 45 – समाज समान अधिकारों पर आधारित है।
- अनुच्छेद 46 – नागरिकों की शिक्षा और भागीदारी।
- अनुच्छेद 47 – सांस्कृतिक विरासत की रक्षा।
- अनुच्छेद 48 – स्वास्थ्य और दवाओं का नियंत्रण।
- अनुच्छेद 49 – आवास नीति और घर की उपलब्धता।
- अनुच्छेद 50 – सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था।

51. अनुच्छेद 51 – न्याय पाने वालों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है।

52. अनुच्छेद 52 – सभी राजनीतिक शक्ति जनता में निहित है।

53. अनुच्छेद 53 – नागरिकों को राजनीतिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता है।

54. अनुच्छेद 54 – राज्य संस्थाओं के कार्य संचालन के मूल सिद्धांत निर्धारित हैं।

55. अनुच्छेद 55 – राष्ट्रीय सभा राज्य का सर्वोच्च अंग है।

56. अनुच्छेद 56 – राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है।

57. अनुच्छेद 57 – सदस्य सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।

58. अनुच्छेद 58 – कुछ व्यक्तियों को मतदान से वंचित किया जा सकता है।

59. अनुच्छेद 59 – सदस्य बनने की योग्यता निर्धारित है।

60. अनुच्छेद 60 – चुनाव प्रणाली और नियम कानून द्वारा तय होते हैं।

61. अनुच्छेद 61 – राष्ट्रीय सभा की संरचना और सदस्य संख्या निर्धारित है।

62. अनुच्छेद 62 – कुछ पदों के साथ सदस्यता असंगत हो सकती है।

63. अनुच्छेद 63 – (निरस्त)

64. अनुच्छेद 64 – विभिन्न प्रतिनिधि निकायों की बैठकों का समन्वय किया जाता है।

65. अनुच्छेद 65 – सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ली जाती है।

66. अनुच्छेद 66 – नई सभा का गठन और सदस्यों की पुष्टि की प्रक्रिया।

67. अनुच्छेद 67 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव।

68. अनुच्छेद 68 – सदस्यता समाप्त होने की स्थितियाँ निर्धारित हैं।

69. अनुच्छेद 69 – सभी राज्य अंगों को संविधान का पालन करना होगा।

70. अनुच्छेद 70 – विधायी शक्ति संसद और सरकार के पास है।

71. अनुच्छेद 71 – राष्ट्रीय सभा कानूनों पर निर्णय लेती है।

72. अनुच्छेद 72 – महत्वपूर्ण विषयों को कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

73. अनुच्छेद 73 – सरकार की नीतियाँ संसद द्वारा अनुमोदित होंगी।

74. अनुच्छेद 74 – राष्ट्रीय सभा के कार्यकारी कार्य निर्धारित हैं।

75. अनुच्छेद 75 – विधेयक प्रस्तुत करने और विचार की प्रक्रिया।

76. अनुच्छेद 76 – संसद को विधेयक संशोधन का अधिकार है।

77. अनुच्छेद 77 – राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है।

78. अनुच्छेद 78 – राष्ट्रपति का चुनाव और योग्यता निर्धारित है।

79. अनुच्छेद 79 – राष्ट्रपति के पद की शर्तें और कार्यकाल।

80. अनुच्छेद 80 – राष्ट्रपति की शपथ और कार्यभार ग्रहण प्रक्रिया।

81. अनुच्छेद 81 – राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ निर्धारित हैं।

82. अनुच्छेद 82 – राष्ट्रपति प्रशासनिक और सरकारी कार्य करता है।

83. अनुच्छेद 83 – राष्ट्रपति अन्य संवैधानिक शक्तियाँ भी निभाता है।

84. अनुच्छेद 84 – राज्य परिषद का गठन किया जाता है।

85. अनुच्छेद 85 – राज्य परिषद की भूमिका सलाह देना है।

86. अनुच्छेद 86 – राज्य परिषद की संरचना और कार्य निर्धारित हैं।

87. अनुच्छेद 87 – सरकार की संरचना निर्धारित है।

88. अनुच्छेद 88 – सरकार की जिम्मेदारियाँ और कार्य।

89. अनुच्छेद 89 – सरकार के निर्णय और प्रशासनिक कार्य।

90. अनुच्छेद 90 – मंत्रिपरिषद का गठन।

91. अनुच्छेद 91 – मंत्रिपरिषद के कार्य और जिम्मेदारियाँ।

92. अनुच्छेद 92 – मंत्रियों की नियुक्ति और भूमिका।

93. अनुच्छेद 93 – उपमंत्रियों की नियुक्ति।

94. अनुच्छेद 94 – राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन।

95. अनुच्छेद 95 – सुरक्षा परिषद के कार्य।

96. अनुच्छेद 96 – सुरक्षा परिषद की संरचना।

97. अनुच्छेद 97 – न्याय प्रणाली के सामान्य सिद्धांत।

98. अनुच्छेद 98 – न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।

99. अनुच्छेद 99 – न्यायालयों के कार्य और अधिकार।

100. अनुच्छेद 100 – न्यायपालिका की संरचना और कार्य।

101.
- अनुच्छेद 101 – न्यायालयों के अधिकार और कार्य कानून द्वारा निर्धारित हैं।

102.
- अनुच्छेद 102 – न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित है।

103. • अनुच्छेद 103 – न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे।

104. • अनुच्छेद 104 – अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रभाव और मान्यता।

105. • अनुच्छेद 105 – न्यायिक संरचना और स्तर निर्धारित हैं।

106. • अनुच्छेद 106 – न्यायिक निर्णयों का पालन अनिवार्य है।

107. • अनुच्छेद 107 – संवैधानिक न्यायालय की स्थापना।

108. • अनुच्छेद 108 – संवैधानिक न्यायालय के कार्य।

109. • अनुच्छेद 109 – न्यायालय संविधान की रक्षा करेगा।

110. • अनुच्छेद 110 – संवैधानिक विवादों का निपटारा।

111. • अनुच्छेद 111 – न्यायालय की शक्तियाँ और अधिकार।

112. • अनुच्छेद 112 – लोक अभियोजन प्रणाली स्थापित है।

113. • अनुच्छेद 113 – अभियोजन अधिकारियों की भूमिका।

114. • अनुच्छेद 114 – अभियोजन की स्वतंत्रता सुनिश्चित।

115. • अनुच्छेद 115 – न्यायिक प्रक्रिया में अभियोजन का कार्य।

116. • अनुच्छेद 116 – (संविधान में प्रावधान/संक्रमण संबंधित)

117. • अनुच्छेद 117 – (प्रावधान)

118. • अनुच्छेद 118 – (प्रावधान)

119. • अनुच्छेद 119 – (प्रावधान)

120. • अनुच्छेद 120 – (प्रावधान)

121. • अनुच्छेद 121 – (प्रावधान)

122. • अनुच्छेद 122 – (प्रावधान)

123. • अनुच्छेद 123 – (प्रावधान)

124. • अनुच्छेद 124 – (प्रावधान)

125. • अनुच्छेद 125 – (प्रावधान)

126. • अनुच्छेद 126 – (प्रावधान)

127. • अनुच्छेद 127 – (प्रावधान)

128. • अनुच्छेद 128 – (प्रावधान)

129. • अनुच्छेद 129 – (प्रावधान)

130. • अनुच्छेद 130 – (प्रावधान)

131. • अनुच्छेद 131 – (प्रावधान)

132. • अनुच्छेद 132 – (प्रावधान)

133. • अनुच्छेद 133 – (प्रावधान)

134. • अनुच्छेद 134 – (प्रावधान)

135. • अनुच्छेद 135 – (प्रावधान)

136. • अनुच्छेद 136 – (प्रावधान)

137. • अनुच्छेद 137 – (प्रावधान)

138. • अनुच्छेद 138 – (प्रावधान)

139. • अनुच्छेद 139 – (प्रावधान)

140. • अनुच्छेद 140 – (प्रावधान)

141. • अनुच्छेद 141 – (प्रावधान)

142. • अनुच्छेद 142 – (प्रावधान)

143. • अनुच्छेद 143 – (प्रावधान)

144. • अनुच्छेद 144 – (प्रावधान)

145. • अनुच्छेद 145 – (प्रावधान)

146. • अनुच्छेद 146 – (प्रावधान)

147. • अनुच्छेद 147 – (प्रावधान)

148. • अनुच्छेद 148 – (प्रावधान)

149. • अनुच्छेद 149 – राज्य व्यय की निगरानी।

150. • अनुच्छेद 150 – वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था।

151. • अनुच्छेद 151 – सरकारी खर्च का लेखा परीक्षण।

152. • अनुच्छेद 152 – वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित।

153. • अनुच्छेद 153 – सलाहकार परिषद का गठन।

154. • अनुच्छेद 154 – मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली।

155. • अनुच्छेद 155 – कराधान का प्रावधान।

156. • अनुच्छेद 156 – राष्ट्रीय बजट की व्यवस्था।

157. • अनुच्छेद 157 – लोक प्रशासन का संगठन।

158. • अनुच्छेद 158 – प्रशासनिक कार्यप्रणाली।

159. • अनुच्छेद 159 – क्षेत्रीय शासन की सामान्य व्यवस्था।

160. • अनुच्छेद 160 – क्षेत्रीय प्रशासन के सिद्धांत।

161. • अनुच्छेद 161 – क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण।

162. • अनुच्छेद 162 – क्षेत्र विभाजन कानून द्वारा।

163. • अनुच्छेद 163 – क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व।

164. • अनुच्छेद 164 – स्थानीय निकायों की संरचना।

165. • अनुच्छेद 165 – क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र।

166. • अनुच्छेद 166 – प्रशासनिक शक्तियाँ।

167. • अनुच्छेद 167 – क्षेत्रीय शासन के कार्य।

168. • अनुच्छेद 168 – क्षेत्रीय प्रक्रियाएँ।

169. • अनुच्छेद 169 – क्षेत्रीय कानून निर्माण।

170. • अनुच्छेद 170 – क्षेत्रीय विधायी शक्तियाँ।

171. • अनुच्छेद 171 – क्षेत्रीय नियम लागू करना।

172. • अनुच्छेद 172 – क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकार।

173. • अनुच्छेद 173 – क्षेत्रीय नीति कार्यान्वयन।

174. • अनुच्छेद 174 – क्षेत्रीय प्राधिकरणों का गठन।

175. • अनुच्छेद 175 – प्राधिकरणों के कार्य।

176. • अनुच्छेद 176 – प्रशासनिक नियंत्रण।

177. • अनुच्छेद 177 – राष्ट्रीय सेना का संगठन।

178. • अनुच्छेद 178 – सेना के कार्य और कर्तव्य।

179. • अनुच्छेद 179 – पुलिस बल की संरचना।

180. • अनुच्छेद 180 – राज्य की रक्षा व्यवस्था।

181. • अनुच्छेद 181 – पीपुल्स असेंबली का गठन।

182. • अनुच्छेद 182 – संक्रमणकालीन प्रावधान।

183. • अनुच्छेद 183 – पूर्व कानूनों का प्रभाव।

184. • अनुच्छेद 184 – पुराने कानून निरस्त।

185. • अनुच्छेद 185 – संक्रमण व्यवस्था जारी।

186. • अनुच्छेद 186 – संविधान लागू होने और अनुमोदन का प्रावधान।

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932